न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही राजस्थान

बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड ,आर.ए.एस

न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत रा.लो.अ. केम्प अटल सेवा केन्द्र मडिया

रा.प्रा.पत्र संख्या 165/2017

प्रार्थी बनाम अप्रार्थीगण

अमरदास पुत्र भीखारामजी वैष्णव निवासी मडिया तहसील व जिला सिरोही राज.

1— मगाराम पुत्र लखाजी
2— ओटाराम पुत्र लखाजी
सभी जाति लुहार निवासी तह.व जिला सिरोही
3— तहसीलदार,सिरोही

1— प्रार्थी स्वंय अथवा इनके वकील अनुपस्थित ।
2— अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपस्थिति ।

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.अभिधृति अधि. वास्ते खातेदारी कृषि मे जाने हेतु मे वैकल्पिक रास्ता देने

निर्णय दिनांक 2—6—2018

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राजस्थान अभिधृति अधि. के तहत विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व अप्रार्थी संख्या 3 स्टेट तहसीलदार,सिरोही का वास्ते खातेदारी कृषि भूमि जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 22—9—2017 को पेश किया जिसका संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा ग्राम मडिया पटवार हल्का मडिया तहसील सिरोही जिला सिरोही मे खसरा नंबर 362रकबा 2.67 हेक्टेयर आई हुई है। उक्त कृषि आराजी मै तथा मेरे सहखातेदार धारण करते है तथा काश्त कर अपने तथा अपने परिवार का भरणपोषण करते है। मुझे अपनी कृषि आराजी पर आने जाने के लिये तथा मवेशी ट्रेक्टर ,बैलगाडी आदि के लिये राजस्व रेकर्ड मे कोई रास्ता दर्ज नही है। खसरा नंबर 348 रकबा 0.4400 के उत्तरी भाग मे स्थित रास्ते से आते जाते थे,जिो वर्तमान मे खातेदार द्वारा बंद कर दिया गया है। मुझे खसरा नंबर 348 रकबा 0.44 हेक्टेयर मेसे रास्ता की आवश्यकता है प्रार्थी के आराजी मे आने जाने हेतू मोके पपर कोई रास्ता उपलब्ध नही है। इसी रास्ते से पुराने समय मे प्रार्थी व पूर्व खातेदार आते जाते रही है। इस कारण मुझे यह प्रार्थनापत्र अ.धा. 251(क) आर.टी.एक्ट का प्रस्तुत करने का कारण पैदा होने से पेश किया है। अतः कृप्या कर मेरा उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर मौजा मडिया के खसरा संख्या 348 रकबा 0.44 हेक्टेयर आराजी के उतरी भाग से 20 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी की आराजी मे आने जाने हेतू दिलाया जावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2071—2074 खाता नंबर 7 खसरा नंबर 362 रकबा 2.6700 हेक्टेयर किस्म बारानी 1 व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खातेदारी कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2071—2074 खाता नंबर 226 खसरा नंबर 347 रकबा 0.0100 हेक्टेयर गै.मु. सडक व खसरा नंबर 348 रकबा 0.4400 हेक्टेयर किस्म बारानी 1 नजरी नक्शा प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो न्यायालय प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 22—9—2017 को

उपखण्ड अधिकारी सिरोही

Continue Page No 2

दर्ज रजिस्टर कर अप्राथीगण को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये जिस पर इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 24–10–2017 को नोटिस तामिल होकर प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया तथा अप्रार्थी संख्या । व 2 की ओर से वकील श्री भंवरसिंह देवडा ने वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया ।तथा जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित मे समय दिया गया । विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 29–1–2018 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब मय फार्म नंबर 3 मे वर्णित संलग्न जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता नंबर 226 खसरा नंबर 347 रकबा 0.0100 हेक्टेयर व खसरा नंबर 348 रकबा 0.4400 हेक्टेयर मार्ग का नक्शा मिलान क्षैत्रफल व प्रार्थी के मार्ग के फोटोग्राफस 1 से 16 तक पेश हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया ।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब मे कथन किया कि राजस्व ग्राम मडिया मे प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 362 रकबा 2.67 हेक्टेयर की आई हुई होना स्वीकार है लेकिन उक्त भूमि पपर आने जाने का कोई रास्ता नही होना गलत होने से अस्वीकार है। उक्त खसरा संख्या 362 मे आने जाने का रास्ता खसरा संख्या 352/352 मेसे होकर जाता है जो राजस्व नक्शे मे पहले से ही रास्ता ददर्ज है। उक्त प्राथी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 362 के पूर्व दिशा मे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि खसरा संख्या 348 रकबा 0.4400 हेक्टेयर की आई है/जिस पर कभी भी कोई रास्ता नही रहा है व न ही अप्रार्थीगण ने कोई रास्ता बंद किया है। प्रार्थी गलत रूप से रास्ते की मांग कर रहा है। प्रार्थी ने उपरोक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 348 मेसे 20 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नही है। उक्त खसरा संख्या 348 की भूमि प्रार्थी के भूमि की खातेदारी की भूमि के उतर दिशा मे न होकर पूर्व दिशा मे स्थित है तथा उतर दिशा मे प्रार्थी के आने जाने का रेकार्डेड रास्ता पहले से ही मौजूद है/फिर भी प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के लिये गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण ने अपने उक्त जवाब मे आगे यह भी कथन किया कि प्रार्थी ने यह कथन किया है कि उसके खातेदारी की भूमि पर आने जाने का कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है लेकिन सही हकीकत यह है कि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि के उतर दिशा मे खसरा नंबर 353 व 352 मे पहले से रास्ता मौजूद है जो राजस्व नक्शा मे दर्ज है। फिर भी प्रार्थी ने गलत रूप से यह प्रार्थनापत्र/अप्रार्थीगण की भूमि को हडपने के लिये पेश किया है। प्रार्थी के खातेदारी की भूमि पर जो रास्ता है उसके फोटोग्राफस अप्रार्थीगण ने खिचवाये है जो 1 से 16 संलग्न है। अतः अप्रार्थीगण का निवेदन है कि अप्रार्थीगण के जवाब को रेकर्ड पर लिया जाकर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारीज कराना फरमावें ।

अप्रार्थी संख्या 3 स्टेट तहसीलदार/सिरोही ने जरिये पत्र कमांक 133 दिनांक 23–2–2018 के द्वारा जवाब के संलग्न जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की नकल पेश कर कथन किया कि प्रार्थी अमरदास पुत्र भीखाराम जाति वैष्णव निवासी मडिया की खातेदारी भूमि मौजा मडिया के खसरा नंबर 362 रकबा 2.67 हेक्टेयर किस्म बा.I मे आने व जाने हेतु के खातेदारी भूमि खसरा नंबर 348 रकबा 0.44 हेक्टेयर किस्म बा.I मेसे रास्ते हेतु मांग की है जो संलग्न नक्शा मे लाल स्याही से अप्रार्थीगण खातेदार श्री मगा ओटा पि.लखा जाति लुहार निवासी मडिया के खसरा नंबर 348 रकुल रकबा 0.44 हेक्टेयर मेसे प्रस्तुत रास्ता लबाई 72 मीटर व चौडाई 6 मीटर बराबर 432 वर्गमीटर होना बताया है।

Continue page No 3

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 26–2–2018 को सुनवाई के दौरान प्रार्थी के द्वारा प्रार्थनापत्र के जरिये जो रास्ते की मांग की है
उसकी वस्तुस्थिति की मौके की जांच को रेकर्ड पर लेने हेतु न्यायालय द्वारा जरिये पत्र कमांक 457–461 दिनांक 24–4–2018 के द्वारा संयुक्त मौका जांच कमेटी उपतहसीलदार कालन्द्री के अध्यक्षता मे भू.अ.नि. सर्कल तंवरी व पटवारी हल्का मडिया का गठन कर उक्त संयुक्त मौका जांच कमेटी को शीघ्र संयुक्त मौका जांच रिर्पोट उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार कर आगामी पेशी दिनांक 2–6–2018 से पूर्व न्याय आपके द्वार अभियान राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मडिया से पूर्व पेश करने हेतु निर्देश दिये गये ।

विचारण प्रकरण मे वास्ते वांछित प्रस्तावित रास्ते के संयुक्त मौका जांच कमेठी के संयुक्त मौका जांच हेतु न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र मडियया मे दिनांक 2–6–2018 को रखी गई ।

आज दिनांक 2–6–2018 को विचारण प्रकरण की यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचारराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र मडिया मे पेश हुई । प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जारी नोटिस तामिल तामिलशुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये ।विचारण प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व उनके वकील सूचना के बावजूद हाजिर नही हुये तथा अप्रार्थी ओटाराम लुहार हाजिर हुये ।

दौराने सुनवाई उप तहसीलदार कालन्द्री ने जरिये पत्र कमांक 243 दिनांक 14–5–2018 के संलग्न संयुक्त मौजा जांच फर्द दिनांक 10–5–2018 मय नक्शा ट्रेस पेश की है जिसे शा.मि. किया गया । उक्त संयुक्त मौका जांच फर्द उपतहसीलदार /कालन्द्री भू.अ.नि. तंवरी /पटवारी हल्का मडिया ने संयुक्त रूप से प्रार्थी अमरदास व अप्रार्थीगण ओटाराम व मगाराम की मौजूदगी मे तैयार की है जिस पर उक्त प्रार्थी व अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर भी है। उपतहसीलदार कालन्द्री ने उक्त जवाब व सुयुक्त मौका जांच फर्द के अनुसार निवेदन किया है कि प्रार्थी श्री अमरदास व अप्रार्थी श्री मगाराम व ओटाराम पुत्र लखाजी लुहार निवासी मडिया मौके पर उपस्थिति मिले । मौजा मडिया का खसरा नंबर 348 रकबा 0.44 हेक्टेयर के खातेदार अप्रार्थी मगाराम व ओटाराम पुत्र लखाजी लुहार निवासी मडिया ने उनके खातेदारी मेसे रास्ता देने हतु एतराज किया व निवेदन किया कि उनका परिवार बडा होने से खातेदारी भूमि कम है। प्रार्थी श्री अमरदास ने मोके पर बताया कि उनकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 362 रकबा 2.6700 हेक्टेयर मे जाने हेतु रास्ता चाहिये । वर्तमान मे मोके पर प्रार्थी के कुऐं पर जाने हेतु रास्ता चालु है। ग्राम आकूना–मडिया दोनो की सरहद से ग्राम आकूना के खसरा नंबर 773 गै.मू. रास्ता रेकार्ड मे दर्ज है व मौके पर चालू है इससे लगता हुआ खसरा नंबर 772 गै.मू. रास्ता रेकर्ड मे दर्ज है व मौके पर चालू है इससे लगता हुआ खसरा नंबर 772 ग्राम मडिया के खसरा नंबर 352 व 353 बिलानाम भूमि है जिसमे से प्रार्थी के कुऐं तक रास्ता मौके पर चालू है किन्तु राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही है। प्रार्थी वर्तमान मे मौके पर विधमान रास्ता मे होकर कुऐं पर आना जाना करता है अगर बिलानाम भूमि खसरा नंबर 772/352/353 का रास्ता रेकर्ड मे कायम हो जाये तो प्रार्थी को कोई एतराज /आपत्ति नही है। इसके लिये प्रार्थी मौके पर सहमत हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही

Continue page No 4

उक्त मौका जांच रिर्पोट के अनुसार मौके पर प्रार्थी अमरदास ने मडिया के खसरा नंबर 348 रकबा 0.44 हेक्टेयर मेसे रास्ता हेतू न्यायालय मे विचाराधीन यह प्रकरण दायर किया है। उक्त आराजी के खातेदार श्री मगाराम व ओटाराम ने मोके पर एतराज किया कि उनके खातेदारी भूमि कम होने से व परिवार बडा होने से रास्ता नही देने हहजू निवेदन किया । वर्तमान मे मौके पर ग्राम आकूना के खसरा नंर 773 ररकबा 0.19 हेक्टेयर गै.मू. रास्ता चालू होना पाया । प्रार्थी की आराजी व रास्ते की आराजी मडिया व आकूना की सरहद पर है। ग्राम आकूना के खसरा नंबर 773 गै.मू. रास्ता रेकर्ड मे दर्ज है। इससे लगता हुआ खसरा नंबर 772 रकबा 0.35 हेक्टेयर गै.मु. खाल खददर बिलानाम है व इससे लगता हुआ खसरा नंबर 352 रकबा 0.53 हेक्टेयर व खसरा नंबर 353 रकबा 0.30 हेक्टेयर किस्म गै.मू.उसरा बिलानाम रेकर्ड मे दर्ज है। इन खसरा नंबरान मे वर्तमान मे मोके पर रास्ता चालू है। किन्तु राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही है। मौके पर प्रार्थी श्री अमरदास की खातेदारी भूमि ग्राम मडिया के खसरा नंबर 362 रकबा 2.67 हेक्टेयर मे कुंआ खोदा हुआ है व कुऐं पर आने जाने हेतू गेट लगा हुअइा है। व वर्तमान मे प्रार्थी कुऐ पर ग्राम आगूना के खसरा नंबर 773 गै.मु. रास्ता होकर ग्राम आकूना के खसरा नंबर 772 व ग्राम मडिया के खसरा नंबर 352 व 353 मे होकर आना करते है व वर्तमान मे इन खसरा नंबान मे मौके पर रास्ता चालू है। किन्तु खसरा नंबर 772⁄352⁄353 का रास्ता रेकर्ड मे दर्ज नही है अगर इसका रेकर्ड मे रास्ता कायम हो जाये तो प्रार्थी अमरदास को कोई एतराज/आपत्ति नही है व मौके पर सहमत हुयें । मौके के अनुसार नक्शा तैयार किया जो मौका फर्द का एक भाग है। अतः मौके पर दोनो पक्षकारान के रूबरू मौका फर्द तैयार कर पढकर सुनाई जिसे स्वीकार कर हस्ताक्षर /अंगुष्ठ निशान किये गये । उक्त मोका जांच फदके साथ नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शाये अनुसार प्रस्तावित रास्ता निम्नानुसार मौके पर चालु होना बताया है।

ग्राम आकूना के खसरा नंबर 773 –राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है मौके पर चालु है। ख्सरा नंबर 772 मेसे 16 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा बराबर 64 वर्ग मीठर ग्राम मडिया के खसरा नंबर 352 मेसे 76 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा बराबर कुल 304 वर्गमीटर व खसरा नेअर 353 मेसे 88 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडा बराबर 352 वर्गमीटर

उपतहसीलदार⁄कालंद्री के उक्त जवाब के तथ्यों की पुष्टि संलग्न संयुक्त मौका जांच फर्द से होती है तथा उक्त मौका जांच फर्द पर उक्तानुसार प्रस्तावित रास्ते पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहमति जाहिर करने की पुष्टि प्राार्थी व अप्रार्थीगण के मौका जांच फर्द पर हस्ताक्षर करने से होती है।

सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के अनुसार प्रार्थी ने अपने खातेदारी भूमि मेसे होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले मे पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया है। अतः अप्रार्थी संख्या 3 स्टेट भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार⁄सिरोही की उक्त खातेदारी भूमि मेसे होकर रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिये आत्यांतिक आवश्यकता होने से तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का परिवार बडा व खातेदारी भूमि का रकबा कम हेाने से अप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि मेसे रास्ता दिया जाना न्यायसंगत नही होने से प्रार्थीगण द्वारा मांगी गई जगह से रास्ता दिया जाने के स्थान पर तहसीलदार⁄सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया जाकर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251–क आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है ।

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही

~~पेज नंबर पांच अमरदास वगैरहा बनाम मगा वगैरहा~~

Continue Page No 5

अतः उपतहसीलदार कालन्द्री की रिर्पोट ⁄ व संलग्न संयुक्त मौका जांच फर्द दिनांक 10–5–2018 के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल स्याही से दर्शाये अनुसार मौजा आकूना पटवार हल्का मडिया की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता नंबर 01 राजस्थान सरकार के बिलानाम खाते की भूमि खसरा नंबर 772 रकबा 0.35 हेक्टैयर किस्म गै.मु. खाल खददर मेसे **16 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा बराबर 64 वर्ग मीठर** तथा मौजा मडिया पटवार हल्का मडिया के जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता नंबर 01 राजस्थान सरकार के बिलानाम खाते की भूमि खसरा नंबर 352 रकबा 0.53 हेक्टेयर किस्म गै.मु.उसर मेसे **76 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा बराबर कुल 304 वर्गमीटर** तथा मौजा मडिया पटवार हल्का मडिया के जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता नंबर 01 राजस्थान सरकार के बिलानाम खाते की भूमि खसरा नंबर 353 रकबा 0.30 हेक्टेयर मेसे **88 मीटर लंबाई व 4 मीटर चौडा बराबर 352 वर्गमीटर** भूमि रास्ते के रूप मे को सार्वजनिक रास्ते के लिये स्वीकृत की जाती है तथा नियमानुसार प्रतिकर की राशि प्राथी द्वारा खजाने राज जमा कराना होगा । उक्त रास्ते की स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार ⁄ सिरोही को आदेश दिये जाते है।

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले मे राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वाराअवधारित दरों का दुगुना और

(ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन अवधारित भूमि के मुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष फसल या संरचनला को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी

प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते की भूमि की किमत अवधारित की जाकर तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने व रास्ते के लिये प्रस्तावित कृषि भूमि के उक्त अप्रार्थीगण संख्या 3 स्टेट भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार ⁄ सिरोही खातेदार को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने पर तहसीलदार सिरोही को उक्त प्रस्तावानुसार स्वीकृत रास्ते की आराजी को राजस्व रेकर्ड मे किस्म गैर मुमकिन रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 2–6–2018 को न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र मडिया मे सुनााया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

02/6/18

(नाथूसिंह राठौड)
सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.) सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 2–6–2018 को मेरे हस्ताक्षर ⁄ पदनाम व न्यायालय को गोल मुहर से जारी किया गया ।

02/6/18

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.) सिरोही

सिरोही